बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या :– 03/03–भू0अ0नि0(योगदांन)–विविध–11/2023..670   पटना, दिनांक :– 06/02/2024

आदेश

जिला पदाधिकारी, अरवल के पत्रांक 212 दिनांक 15.01.2024 द्वारा अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को संबोधित पत्र में श्री चंदन कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन(AEN04185) शिविर कार्यालय, करपी–03 के विरूद्ध खानापुरी/याद्दाश्त निर्माण के दौरान रैयतों से पैसे की वसूली करने एवं कई कर्मियों द्वारा इन्हें अवैध वसूली हेतु दोषी ठहराने का आरोप प्रतिवेदित किया गया है। साथ ही यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि कार्यालय द्वारा इनसे स्वयं उपस्थित होकर स्पष्टीकरण की मांग की गयी है, परन्तु इनके द्वारा जिला पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया है। साथ–ही–साथ इनके द्वारा स्वेच्छाचारिता, अनुशासनहीनता एवं अनियमितता बरतने के आलोक में संविदा रद्द करने की अनुशंसा की गयी है।

प्राप्त प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आलोक में भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पत्रांक 412 दिनांक 19.01.2024 द्वारा श्री कुमार से 03 दिनों के अन्दर संविदा समाप्ति के विरूद्ध स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। 10 दिनों के बाद भी इनके द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया है।

स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप जिला पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी है। समीक्षोपरांत पाया गया है कि जिला पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत आरोपों की स्वयं जांच की गयी है। जांच के क्रम में श्री कुमार के विरूद्ध भ्रष्टाचार में संलिप्त रहने से संबंधित आरोप परिलक्षित हुआ है एवं कई कर्मियों द्वारा इन्हें अवैध वसूली करने का दोषी भी ठहराया गया है। भ्रष्टाचार संबंधी इतने गंभीर आरोप के बावजूद भी इस कार्यालय द्वारा इन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया है, परन्तु इनके द्वारा इसे दर किनार करते हुए वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना की गयी है, जो इनके मनमानेपन एवं वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवेहलना को परिलक्षित करता है। साथ ही जिला पदाधिकारी द्वारा इनपर लगाए गए स्वेच्छाचारिता, अनुशासनहीनता एवं अनियमितता संबंधी आरोपों को भी प्रमाणित करता है।

विशेष सर्वेक्षण कार्य आमजनो के बीच उनके सहयोग से किया जाने वाला कार्य है, जिसमें आमजनो की भूमिका एवं सर्वेक्षण कर्मियों के प्रति आमजनो का विश्वास अतिमहत्वपूर्ण है। ऐसे में इनके द्वारा भ्रष्टाचार जैसा कृत्य करने से सर्वेक्षण एवं सर्वेक्षण कर्मियों के प्रति आमजनो में अविश्वास की भावना उत्पन्न न हो एवं इसका कुप्रभाव अन्य सर्वेक्षण कर्मियों पर न पड़े, इसके दृष्टिगत श्री कुमार को संविदा में बनाए रखना उचित नहीं होगा।

अतः जिला पदाधिकारी से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में **"बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम–8(4)"** में वर्णित प्रावधान के तहत श्री चंदन कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन(AEN04185) का संविदा अनुबंध रद्द किया जाता है।

(जय सिंह) 2/2/24
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03/03–भू0अ0नि0(योगदान)–विविध–11/2023......670 **पटना, दिनांक** :– 06/02/2024

प्रतिलिपि :– श्री चंदन कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन(AEN04185) बंदोबस्त कार्यालय, अरवल सम्प्रति नवपदस्थापित बंदोबस्त कार्यालय, किशनगंज को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03/भू0अ0नि0(आरोप)–जमुई–13/2023......670 **पटना, दिनांक** :– 06/02/2024

प्रतिलिपि :– जिला पदाधिकारी/बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, अरवल एवं बंदोबस्त पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03/भू0अ0नि0(आरोप)–जमुई–13/2023......670 **पटना, दिनांक** :– 06/02/2024

प्रतिलिपि :– श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं निदेशालय अन्तर्गत R2R में संधारित इनकी व्यक्तिगत संचिका में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप
5/2/24